# न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र.     /तीन/09/निगरानी

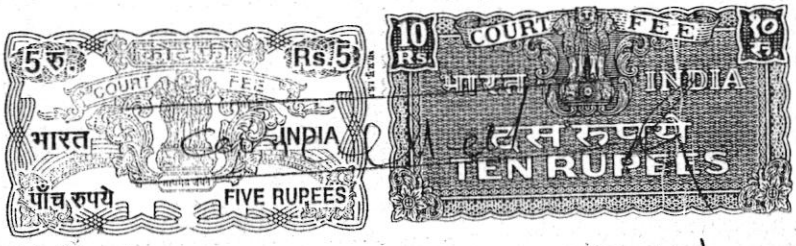




R. 568-III/09

श्री गोपाल श्रीवास्तव तनय श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) .............आवेदक

बनाम

01. रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव तनय श्री श्यामसुन्दर श्रीवास्तव निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

02. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव तनय श्री श्यामसुन्दर श्रीवास्तव निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

03. बाल्मीक प्रसाद द्विवेदी तनय श्री शिवदयाल द्विवेदी निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ........अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री शोभित जैन अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 900/अपील/07–08 में पारित आदेश दिनांक 16.03.09

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

श्री मोर ध्वज सिंह – एडवोकेट
द्वारा आज दि. 25-5-09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

महोदय,

आवेदक का निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

**(प्रकरण के संक्षिप्त विवरण)**

इस प्रकार है कि आवेदक ने ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा की भूमि खसरा नम्बर 821 रकवा 0.25 एक0 तथा 822 रकवा 2.10 एकड़ कुल रकवा 2.35 एकड़

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 568–तीन/2009 जिला–रीवा

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 04–1–10 | आवेदक के अभिभाषक श्री मोरहवज सिंह उपस्थित।<br><br>2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 900/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।<br><br>3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16.03.09 व पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला–रीवा का आदेश दिनांक 28.04.08 विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर ने प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सिविल कोर्ट, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रीवा के प्रकरण क्र0 165ए/05 में जिसमें अनावेदक क्र0 1 वादी था तथा अनावेदक क्र0 2 व आवेदक प्रतिवादी थे, में अनावेदक क्र0 1 रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के दिये गये शपथ पत्र पर बयान के प्रतिपरीक्षण में दिनांक 16.07.06 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 30 में अनावेदक क्र0 1 ने | |

स्वीकार किया था कि भूमि खसरा न0 821 व 822 अनावेदक क्र0 2 के हिस्से की भूमियां है तथ उसी सिविल कोर्ट के निर्णय दिनांक 20.09.06 के पद 8 में माना है कि भूमि खसरा नम्बर 821 व 822 अनावेदक क्र0 2 के हिस्से की भूमियां है। जिसमें अनावेदक क्र0 1 का कोई हक नहीं माना गया है तथा आवेदक को अपने पिता अनावेदक क्र0 2 से जरिये रजिस्टर्ड बटवारा दिनांक 29.06.02 को प्राप्त कर भूमि खसरा न0 821 तथा 822 के कराये गये, नामांतरण आदेश दिनांक 28.05.03 से अनावेदक क्र0 1 न तो परिवेदित था न ही बिना स्पष्ट अनुमति प्राप्त किये न तो समय बाह्य अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार था । उपरोक्त तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लिखित तर्क में उठाने तथा अपर आयुक्त की न्यायालय में अपील ज्ञापन तथा तर्क के समय उठाये जाने पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अहम मुद्दे को अपने आदेश में उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक के नामांतरण आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय ने विधिवत नामांतरण नियमों का पालन करते हुये रजिस्टर्ड बटवारा एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया । जिसमें अनावेदक क्र0 1 का न तो किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित हो रहा था और न ही उसे अपील करने का अधिकार था। किन्तु अनावेदक क्र0 1 द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लिये बिना ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो, निरस्तीय योग्य थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है। अंत आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित

आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अधनीस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन किये जाने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण में बटवारा एवं नामांतरण के सादेश एक साथ किये गये है, जिसमें नामांतरण तो विक्रय पत्र के आधार पर किया गया है, जिसके विक्रेता एवं क्रेता को विधिवत पक्षकार बनाया गया है, परन्तु बटवारे के प्रकरण में बटवारा पत्र को आधार बनाकर नामांतरण कर दिया गया, जिसमें बटवारे के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। आवश्यक पक्षकार अनावेदकगण को तलब ही नहीं किया गया । यह सर्वविदित है कि किसी प्रकरण में सह–खातेदार या आवश्यक पक्षकारों को सूचना पत्र भेजकर बुलाया जाता है। इश्तहार आदि का प्रकाशन कर उनसे उपस्थित होने की वांक्षा नहीं की जा सकती। अनावेदक का खतौनी में नाम था तो उन्हें न्यायालय में बुलकार सुनवाई का अवसर दिया जाना था। बटवारा पत्र/पुल्ली को समक्ष में तस्दीक किया जाना चाहिये था। आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में 1984 आर0एन0 262 उल्लेख किया है, जिसमें सभी पक्षकारों द्वारा मान्य आपसी बटवारे के आधार पर नामांतरण किया जावेगा, प्रतिपादित किया है। इस प्रकरण में लागू नहीं क्योंकि सभी पक्षकारों द्वारा मान्य है या नहीं इसकी जांच ही विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर ने प्रकरण से सम्बधित सभी पक्षकारों की विधिवत सुनवाई सुनवाई की है और धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का

निराकरण भी किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक क्र0 1 रामेश्वर प्रसाद को हितबद्ध पक्षकार मान्य किया है एवं समुचित विवेचना कर विचारण न्यायालय का आदेश आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आराजी क्र0 821 रकबा 0.25 ए0 एवं आराजी क्र0 822 रकबा 2.10 ए0 के सम्बध में निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.08 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । अतः अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में की है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2009 न्यायासंगत व विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है। आवेदक अपने स्वत्व के विषय में सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो । अभिलेख वापिस हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य